R 3958-II/16

न्यायालय माननीय सदस्य महो. राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट–रीवा (म.प्र.)

बृजेन्द्र बहादुर सिंह तनय श्री ओ.पी. सिंह गहरवार, उम्र–६० वर्ष,
पेशा–खेती, निवासी– विवेकानन्द वार्ड जबलपुर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)

------------निगरानीकर्ता / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. पंचमलाल मुड़हा तनय नर्वदा मुड़हा, उम्र–48 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम–रुहिया, तहसील– अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)
2. इन्द्रजीत सिंह तनय रामसुन्दर सिंह, उम्र– 60 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम– केमार, तहसील– अमरपाटन, जिला–सतना (म.प्र.)
3. श्रीमती इन्दू सिंह पुत्री क्षत्रपति सिंह, उम्र– 55 वर्ष, पेशा–गृहणी निवासी– क्षत्रपति नगर रीवा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म.प्र.)

------------ गैरनिगरानीकर्तागण / गैरपुनरीक्षणकर्तागण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना(म.प्र.)द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 6 / बी–121 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म.प्र.भू.रा.सहिता–1959

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

1. निगरानीकर्ता के स्वत्व–स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि ख.168 / 598 रकवा1.60ए. ग्राम–रूहिया, तहसील–अमरपाटन, जिला–सतना(म.प्र.) में स्थित है। जिसका पूर्व भूमिस्वामी व अधिपत्यधारी गैरनिग.कर्ता क्र.2 इन्द्रजीत सिंह था, जिसनें उक्त भूमि को पंजी. बिक्रय–पत्र दिनांक–09.11.2015 से निग.कर्ता के पक्ष में हस्तान्तरित किया था, जिससे उक्त भूमि पर बिधिवत स्वत्व व भौतिक अधिपत्य निग.कर्ता प्राप्त कर लिया था और वह भूमिस्वामी दर्ज राजस्व अभिलेख था। जिसे भली–भॉति जानते हुए गैरनिग. कर्ता क्र.1भूमि पर बतौर आवादी अपना कब्जा जताकर तहसीलदार,तह. –अमरपाटन, बृत्त–मौहारी कटरा के समक्ष गैरनिग.कर्ता क्र.2व3 के बिरुद्व धारा 250 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के तहत प्र.क्र.204 / अ–74 / 2015–16 प्रस्तुत किया था। जिसमें गैरनिग.कर्ता क्र. 2व3 अपना जबाव और हल्का पटवारी मौका जॉच प्रतिवेदन व पंचनामा प्रस्तुत किए थे तथा उक्त भूमि पर निग.कर्ता का बिधिवत स्वत्व–अधिपत्य होना प्रगट किए थे, जिससे उक्त प्रकरण प्रथमदृष्टया ही झूँठा प्रमाणित होनें से तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक–04. 07.2016 से निरस्त कर दिया गया था। तत्पश्चात उक्त प्रकरण व आदेश को छिपाकर गैरनिग.कर्ता क्र.1 नें अनुविभागीय अधिकारी, तह.–अमरपाटन के न्यायालय में आवेदन किया कि भूमि.नं.168 / 598 स्थित ग्राम–रूहिया,सार्वजनिक निस्तार व गौचर की सरकारी भूमि है, किन्तु खसरा में हल्का पटवारी को मिलाकर गैरपुन.कर्ता क्र.2व3 अपना नाम लिखा कर और फर्जी पट्‌टा बनवाकर तार–बाउण्ड्री करा रहे हैं। **जिस पर** अधीनस्थ न्यायालय नें राजस्व प्र.क्र. 6 / बी–121 / 2015–16 दर्ज किया। जबकी वर्ष–1985–86 में बीस–सूत्रीय समिति से उक्त भूमि का पट्‌टा गैरनिग.कर्ता क्र.2 के नाम मंजूर हुआ था और नायव तहसीलदार, राजस्व प्र.क्र.81 / अ–19 / 85–86में उसके नाम नामांतरण / इत्तलावी करनें का आदेश दिनांक–28.02.1986 पारित किया था। तब से लगातार वर्ष–2015 तक उक्त भूमि का स्वत्व–अधिपत्यधारी इन्द्रजीत सिंह था तथा उसके द्वारा निष्पादित पंजी.

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3958-दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता
5-12-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 6 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 28-9-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना के प्रकरण कमांक 6 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 28-9-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने साकिन रूहिया की भूमि सर्वे नंबर 168 रकबा 0.598 है. अर्थात 1.60 एकड़ के सम्बन्ध में शिकायत की कि इस भूमि पर फर्जी पट्टे से अनावेदक कमांक 2 एंव 3 का नाम शासकीय अभिलेख में अंकित कराया गया है जिससे कार्यवाही की जाय। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 6 बी 121/ 2015716 पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-9-16 पारित करके पट्टे की भूमि का विकय बिना सक्षम अनुमति के होने के आधार पर भूमि पुनः शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।	

3/ अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है कि क्या भूमि पटटे की है एंव बिना सक्षम अनुमति के विकय हुई है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि नायव तहसीलदार अमरपाटन के प्रकरण कमांक 81 अ 19/1985-86 में पारित आदेश दिनॉक 28-2-1986 से तत्समय प्रचलित नियमों अनुसार बीस सूत्रीय समिति के अनुमोदन पर ग्राम रूहिया की भूमि सर्वे नंबर 168 रकबा 0.598 है. अर्थात 1.60 एकड़ इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्यामसुन्दर सिंह को पटटे पर प्रदान की गई है एंव शासकीय अभिलेख में इस पटटाग्रहीता का भूमिस्वामी स्वत्व पर इन्द्राज हुआ है। इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्यामसुन्दर सिंह ने इसी भूमि को जर्य पंजीयत विकय पत्र दिनांक 7-11-2015 को बृजेन्द्र बहादुर सिंह (आवेदक) के नाम विकय की है एंव इसी विकय पत्र के आधार पर आदेश दिनांक 22-12-2015 से केता का नामान्तरण हुआ है। विचार योग्य है कि जब बादग्रस्त भूमि का पटटा आदेश दिनॉक 28-2-1986 से हुआ है एंव पटटा प्राप्ति तथा भूमिस्वामी होने के उपरांत 29 वर्ष के अंतराल वाद वादग्रस्त भूमि विकय की गई है तब क्या ऐसी पटटे की भूमि के अंतरण संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों से प्रतिबन्धित हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 ऐसे भूमिस्वामी को भूमि के विकय से निषेधित नहीं करती है जिन्होंने पटटा प्राप्ति के निरन्तर 10 वर्ष तक खेती करते हुये पटटे की शर्तो का पालन कर लिया है। जहां तक संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों का प्रश्न है - आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्व म0प्र0राज्य तथा अन्य एक 2013 राजस्व निर्णय 8

xix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3958–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता

में माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थान से पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये– बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार विहित अधिकार है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2016 पारित किया है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान बताया कि संहिता की धारा 165 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। इस सम्बन्ध में विचार करने पर स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की शक्तियॉ कलेक्टर अथवा कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को हैं। अनुविभागीय अधिकारी संहिता की धारा 165 के अंतर्गत आदेश पारित करने तथा पटटे की भूमि विकीत होने पर उसे पुनः शासकीय दर्ज करने के आदेश देने की अधिकारिता नहीं रखते हैं। आदेश

दिनांक 28-9-16 में अनुविभागीय अधिकारी ने वादग्रस्त भूमि को पुनः शासकीय दर्ज करने का निर्णय लिया है। देवीप्रसाद विरूद्व नाके 1975 JLJ 155=1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटित को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता। अतः अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना ने प्रकरण कमांक 6 बी-121/2015-16 में आदेश दिनॉक 28-9-2016 करते समय प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों पर विचार न करते हुये त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-9-16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 6 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 28-9-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार अमरपाटन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम रूहिया की भूमि सर्वे नंबर 168 रकबा 0.598 है. अर्थात 1.60 एकड़ शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम पूर्ववत् दर्ज करावें।

सदस्य